मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं–3/11 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 26.08.2014 (अपरान्ह 12.00 बजे) स्थान सैक्टर कार्यालय खनन परियोजना, ग0म0वि0नि0लि0, सुद्धोवाला चौक, सुद्धोवाला, देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी लॉट नं–3/11 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में सैक्टर कार्यालय खनन परियोजना, ग0म0वि0नि0लि0, सुद्धोवाला चौक, सुद्धोवाला, देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर एक ही स्थान पर लोक सुनवाई होने के कारण एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा 12.00 बजे अपरान्ह लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा टौंस नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक 25.07.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत

वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 11.00 है0 है। जो कि ग्राम आर्केडिया ग्रांट, तहसील विकास नगर, देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट रू0 3.51 लाख वार्षिक का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री जगदीश नैनवाल (जिला पंचायत सदस्य), निवासी सुद्धोवाला** द्वारा लोक सुनवाई का स्वागत किया गया एवं खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि नदी में खनन न होने से बरसात में खेतों को काफी नुकसान हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है तथा सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। खनन कार्य होने से क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन का ठेका किसी निजी ठेकेदार को न देकर गढ़वाल मंण्डल विकास निगम को दिया जाये, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले, गरीब परिवारों को इसका लाभ मिले। खनन पट्टों को निजी ठेकेदारों को दिये जाने पर रायल्टी बढ़ेगी, जिससे कि खनिज दामों में भी बढ़ोत्तरी होगी। इसलिये खनन का कार्य गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए। उनके द्वारा पूछा गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा व्यय किये जाने वाले EMP बजट की मॉनिटरिंग कौन करेगा?

2. **श्री सोनू, निवासी कोटला सन्तूर** द्वारा लोक सुनवाई का स्वागत किया गया एवं खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में खनन कार्य निजी ठेकेदारों द्वारा किया जाता था, जिसका गांव के विकास एवं ग्रामवासियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं था, जिससे ठेकेदार एवं ग्रामवासियों के बीच सदैव टकराव की स्थिति बनी रहती है। इसलिये गढ़वाल मण्डल विकास निगम किसी अन्य संस्था को ठेका न देकर स्वयं खनन कार्य करें। उनके द्वारा कहा गया कि गांव के विकास के लिये मिलने वाले अंशदान पर ग्रामसभा का भी अधिकार होना चाहिए।

3. **श्री सतीश कुमार, ग्राम प्रधान पौंधा** लोक सुनवाई का स्वागत किया गया एवं खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि नदियों में खनन खुलने से ग्रामवासियों को मकान, मन्दिर आदि के निर्माण के लिये बाहर के क्षेत्रों से खनन सामग्री नहीं मंगानी पड़ेगी। बरसात में खेतों का कटाव भी नहीं होगा। उनके द्वारा कहा गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा खनन किये जाने से अवैध खनन नहीं होगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि ट्रकों/ट्राली आदि से रेता/बजरी/पत्थर ढोने वाले वाहनों की गति सीमा नियत/सीमित रखी जाये, जिससे गांव में कोई दुर्घटना न हो, साथ ही एक समिति का भी गठन किया जाये, जिसमें स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को रखा जाए एवं उनकी देखरेख में समस्त खनन कार्य किये जायें।

4. **श्री प्रवीण, निवासी आरकेडिया ग्रांट** द्वारा पूछा गया कि खनन से स्थानीय युवकों की क्या सहभागिता रहेगी? जो पट्टे खुलने जा रहे हैं, क्या स्थानीय व्यक्तियों को पट्टा मिलेगा?

5. **श्री चन्द्रपाल पुण्डीर (पूर्व प्रमुख, सहसपुर), निवासी सुद्धोवाला** द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य से पूर्व नदी के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है, जिससे बरसात में बाढ़ से भूमि कटाव आदि को रोका जा सके। साथ ही पेड़–पौधों की देखरेख एवं निगरानी किया जाना भी अनिवार्य है। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य के समय प्राकृतिक जल स्रोतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि पर्यावरण को बचाने के लिये गढ़वाल मण्डल विकास निगम और ठेकेदार ही नहीं बल्कि ग्रामवासियों की भी सहभागिता होनी चाहिए।

   अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों की गति सीमा सीमित रखी जाएगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना हेतु निर्धारित बजट का व्यय प्रमुखता वृक्षारोपण आदि में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे

पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खडे कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)	(सुभाष पंवार)	26.9.17
अनु0 सहा0	अ0 अभियन्ता	(प्रताप सिंह शाह)
		अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
		देहरादून

DATE 26 08 2014

टौंस नदी के लाट संख्या 3/11 में चुगान खनन हेतु दिनांक 26/08/2014 अपराह्न (02:00 बजे) स्थान संबद्ध कार्यालय खनन परियोजना (GMVN) सुद्दोवाला में कृत लोकसुनवाई में उपस्थित मा० व्यक्तियों की उपस्थिति पत्रिका:—

क्र०सं०	नाम व पद	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
(1)	श्री० प्रतापसिंह शाह (Admn F/R)	जिला प्रशासन देहरादून	975646655	[signature]
(2)	श्री० रघुनाथ पंवार (क्षे० अधि०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दे०दून	9410393541	[signature]
(3)	श्री० सुनील उनियाल (अनु० सहा०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दे०दून	9834837820	[signature]
(4)	विजय कुमार (Asst Manager)	GRC Dehradun	9528553227	[signature]
(5)	निर्मल शर्मा	GMVN Ltd	9897735856	[signature]
(6)	रमेश	आर्केडिया	—	रमेश
(7)	सुनील नौटियाल	आर्केडिया ग्रान्ट		[signature]
(8)	बिसन दास	सुद्धोवाला		बिसनदास
(9)	रामप्रसाद [illegible]	चोरी गाँव	—	[signature]
(10)	अनिल वर्मा	आरकेडिया ग्रान्ट		[signature]

	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
11	चन्द्रमोहन सिंह पुण्डीर पूर्व प्रमुख लक्सर	सुल्तानपुर		[signature]
12	सुरेन्द्र सिंह (अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस लक्सर)	कोटड़ा मतौर		[signature]
13	विरेन्द्र सिंह चौधरी	पोड़ा		[signature]
14	जगदीश नौनवाले	फतवारी शाहपुर		[signature]
15	Birendra Singh [illegible]	Arcadia Grant		[signature]
16	मनोज	आरकेडिया ग्रांट		मनोज
17	D. S. Negi	G.M. V.N. Ltd.		[signature]
18	सुरेश चन्द	आरकेडिया		Suresh
19	रोशन चन्द	आरकेडिया		रोशन
20	सतीश कुमार	पोड़ा	9411361796	[signature]
21	मोहर सिंह	लुहारवाला		[signature]
22	आदेश कुमार	केहरीगांव		Adesh kumar
23	प्रवीन आर्य	लक्ष्मीपुर		[signature]
24	मोहन लाल	लुहारवाला		[signature]
25	अशोक	लुहारवाला		अशोक

DATE

	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
26	हरिसिंह	सुद्धोवाला		हरिसिंह
27	दीपक	आर्केडिया ग्रान्ट		दीपक
28	सोहन लाल	आर्केडिया	—	सोहन
29	कमला	सुद्धोवाला	—	KALA
30	जितेन्द्र	आर्केडिया	—	जितेन्द्र
31	रविकुमार	सुद्धोवाला	—	रविकुमार
32	रामगोपाल	नन्दा की चौकी	—	रामगोपाल
33	चन्द्रपाल रावत	आर्केडिया	—	चन्द्रपाल रावत
34	रामकिशोर	सुद्धोवाला	—	रामकिशोर
35	मनोज	सुद्धोवाला	—	मनोज
36	जुगल किशोर	सुद्धोवाला	—	जुगलकिशोर
37	पाला	सुद्धोवाला	—	पाला
38	धर्मेन्द्रकुमार	//	—	धर्मेन्द्र कुमार
39	श्रीपति	//	—	श्रीपति
40	सोमवीर	//		सोमवीर

DATE

क्र.सं०	नाम व पद	पता	सदस्य के शुल्क	ह०
41	जोगेन्द्रसिंह	नन्दा चौकी		जोगेन्द्रसिंह
42	भगवानदास	नन्दा चौकी		भगवानदास
43	अर्जुन	नन्दा की चौकी		अर्जुन
44	ओमप्रकाश राणा	नन्दा की चौकी		ओमप्रकाश
45	रामप्रसाद	नन्दा की चौकी		रामप्रसाद
				रघुबीर